"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2020—पौष 13, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 7 दिसम्बर 2019

क्रमांक ई-1-18/2019/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2016 आबंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को आबंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा, दिनांक 31-12-2019 को पूर्ण होने के उपरांत, भा.प्र.से. (वेतन) नियम 2016 के नियम 3(1)(1) के परंतुक के अंतर्गत, दिनांक 01-01-2020 से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान Pay Matrix Level-11 में पदोन्नत किया जाकर निम्नानुसार अस्थाई रूप

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री रवि मित्तल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-महासमुंद.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-महासमुंद.
2.	श्री विनय कुमार लंगेह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-गरियाबंद.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-गरियाबंद.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12 दिसम्बर 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD), रायपुर तथा विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12 दिसम्बर 2019

क्रमांक ई-1-14/2019/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी, भाप्रसे (2004) विशेष सचिव, मुख्यमंत्री/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), विमानन, संचालक विमानन तथा संचालक कृषि तथा आयुक्त गन्ना का अतिरिक्त प्रभार, को सेवा के अधिसमय वेतनमान (Pay Matrix Level-14) में नियुक्त करता है तथा सचिव, मुख्यमंत्री, के पद पर पदस्थ करते हुए, सचिव, विमानन, संचालक विमानन एंव संचालक कृषि तथा आयुक्त गन्ना का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. श्री टामन सिंह सोनवानी को अधिसमय वेतनमान का लाभ दिनांक 03-12-2019 से देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 10 दिसम्बर 2019

क्रमांक ई 7-03/2007/एक-2.—श्रीमती आर. शंगीता, विशेष सचिव, मंत्रालय को विभागीय आदेश दिनांक 28-12-2018 द्वारा अखिल भारतीय सेवा (अव.) नियम, 1955 के नियम-18(D) के तहत् दिनांक 01-01-2019 से 31-01-2020 तक 396 दिवस का शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया गया था. दिनांक 29-11-2019 को कार्य पर उपस्थिति दिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 29-11-2019 से 31-01-2020 तक 64 दिवस के शिशु देखभाल अवकाश को निरस्त किया जाता है.

2. श्रीमती आर. शंगीता, विशेष सचिव, मंत्रालय को विदेश में अध्ययन की पूर्व तैयारी हेतु दिनांक 09-12-2019 से 31-12-2019 तक 23 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दि. 08 दिसम्बर, 2019 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

3. अवकाश काल में श्रीमती आर. शंगीता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आर. शंगीता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, उप-सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ 18-115/2016/25-2(पार्ट)/8792.—छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 7123, दिनांक 03-09-2015 द्वारा अनुसूचित जाति विकास परिषद् का गठन किया गया था.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए भारत सरकार नीति आयोग (सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण अनुभाग) के पत्र क्रमांक/M-11011/08/2015-SJ&SW दिनांक 20-04-2015 के द्वारा जारी मार्ग दर्शिका कंडिका 3.5 के अधीन "अनुसूचित जाति उपयोजना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति विकास परिषद का पुनर्गठन करता है :—

1.	माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3.	समस्त माननीय विधायक (अनु. जाति वर्ग से)	सदस्य
4.	मुख्य सचिव, छ.ग. शासन	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जनशक्ति नियोजन तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, नगरीय प्रशासन विभाग, वन विभाग, वित्त विभाग.	सदस्य
6.	सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	सदस्य सचिव

परिषद के कर्तव्य :—

1. राज्य सरकार के विभागों को अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर सलाह देना.
2. राज्य सरकार के विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के समुचित प्लानिंग एवं क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना.
3. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुसूचित जाति उपयोजना के वार्षिक प्रस्ताव पर अनुमोदन देना.
4. ऐसेस अन्य कार्यों को संपादित करना जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे.
5. उक्त परिषद् वर्ष में कम से कम तीन बार अनुसूचित जाति उपयोजना के कार्यों की समीक्षा करेगी.
6. राज्य शासन द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्व.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्रमांक 2638/एफ 7-30/2016/13/1.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम, 1949 के नियम-13 के अधीन विद्युत निरीक्षकालय के द्वारा विद्युत की खपत के आंकलन तथा उस पर देय विद्युत शुल्क के भुगतान संबंधी उत्पन्न विवाद के मामले में प्रस्तुत अपील पर सुनवाई एवं समाधानकारक निर्णय जारी करने हेतु विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7-54/2006/13/1 दिनांक 05-04-2017 से श्री आशीष कुमार भट्ट, सचिव, ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया था.

2. अब, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम, 1949 के नियम-13 के अधीन विद्युत निरीक्षकालय के द्वारा विद्युत की खपत के आंकलन तथा उस पर देय विद्युत शुल्क के भुगतान संबंधी उत्पन्न विवाद के मामले में प्रस्तुत अपील पर सुनवाई एवं समाधानकारक निर्णय जारी करने हेतु श्री आशीष कुमार भट्ट, सचिव, ऊर्जा विभाग स्थान पर मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को आगामी आदेश तक अधिकृत करता है.

3. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील समझी जावेगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 दिसम्बर 2019

क्रमांक 2788/आर-66/2016/13/2.—विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1145/आर-66/2016/13/2 दिनांक 10-04-2018 द्वारा श्री के. आर. सी. मूर्ति, रीजनल एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (साऊथ), एन.टी.पी.सी. लिमिटेड को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में डायरेक्टर एवं प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त किया गया है.

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. आर. सी. मूर्ति, डायरेक्टर एवं प्रबंध संचालक को आदेश जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के डायरेक्टर एवं प्रबंध संचालक पद से पदमुक्त करते हुए उनकी सेवाएं मूल संस्थान को लौटाई जाती है.

3. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश वर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन लिमिटेड, रायपुर के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त करता है.

4. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त कंपनी के डायरेक्टर श्री राजेश वर्मा को कार्यभार ग्रहण करने तारीख से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के पद पर नियुक्त करता है.

5. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार भार्गव, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ 10-12/2015/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र.-27, सन् 1960) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित व्यक्तियों को क्रमशः श्रम अधिकारी एवं उप श्रम अधिकारी नियुक्त करता है :—

अनुक्र. (1)	प्रथम अनुसूची (2)	अनुक्र. (3)	द्वितीय अनुसूची (4)
1.	श्री एस. एल. जांगड़े	1.	श्री व्ही. आर. पटेल
2.	श्रीमती सविता मिश्रा	2.	श्री रूबेन खेस्स
3.	श्री डी. पी. तिवारी	3.	श्री पी. के. बिचपुरिया
4.	श्रीमती अनिता गुप्ता	4.	श्री डी. के. राजपूत
5.	श्री एस. एस. पैकरा	5.	श्री एस. के. सिंह
6.	श्री विकास सरोदे	6.	श्री ए. के. चौरसिया
7.	श्री यू. के. कच्छप	7.	श्री जी.डी. प्रसाद
8.	श्री बी. एस. बरिहा	8.	श्री राजकुमार तम्हाने
9.	श्री अजय हेमंत देशमुख	9.	श्री के. के. सिंह
10.	श्री अनिल कुजूर	10.	श्री किंगजोर केरकट्टा
11.	श्री शोएब काजी	11.	श्री घनश्याम पाणिग्रही
12.	श्रीमती श्रद्धा केशरवानी	12.	श्री नितेश कुमार विश्वकर्मा
13.	श्री तेजेश कुमार	13.	श्रीमती पायल शर्मा

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	श्रीमती ज्योति शर्मा	14.	श्री सुदेश कुमार
15.	श्री नंद किशोर साहू	15.	श्री आजाद सिंह पात्रे
16.	श्री एलेन मिंज	16.	श्री खीर प्रसाद ठाकुर
17.	श्री देवेन्द्र कुमार देवांगन	17.	श्री जी. एस. सोनी
		18.	श्री आर. के. प्रधान
		19.	श्री राजेश आदिले
		20.	श्री राम आसरे नेताम
		21.	श्री आर. जी. सुधाकर
		22.	श्री समीर मिश्रा
		23.	श्री भूपेन्द्र नायक
		24.	श्री ओम व्यास नेताम
		25.	सुश्री लता आहूजा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. पुरबिया, उप सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ 7-04/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-04/2018/32 दिनांक 23-03-2018 द्वारा गठित जेठा निवेश क्षेत्र में अनुसूची-एक में दिये गये ग्राम पोरथा, सकरेली ब, सरवानी ब, को अपवर्जित करते हुए पुर्नगठन जेठा निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची-दो निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची-एक

जेठा निवेश क्षेत्र में अपवर्जित ग्राम

ग्राम :— पोरथा, सकरेली ब, सरवानी ब.

अनुसूची-दो

जेठा निवेश क्षेत्र की पुर्नगठन सीमाएं

उत्तर में : ग्राम भुरसीडीह, खुंटादरहा, पासीद एवं नंदोरकला ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम नंदौरकला, भद्रीपाली, साजाडेरा एवं परसदाकला ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम परसदाकला, लौसरा, बेलहाडीह एवं डेरागढ़ ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम डेरागढ़, रानीगांव, भक्तुडेरा, भद्रीपाली, जेठा, भुरसीडीह ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोस्कर विलास संदिपान, उप सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ 1-06/2018/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-04 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री संजय पिल्ले भापुसे (1988)	संचालक लोक अभियोजन छ.ग. एवं संचालक राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर का अतिरिक्त प्रभार.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें.
2.	श्री अशोक जुनेजा भापुसे (1989)	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण एवं छसबल तथा एस.टी.एफ./प्रशासन, भर्ती/चयन का अतिरिक्त प्रभार.	वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा.
3.	श्री गुरजिंदर पाल सिंह भापुसे (1994)	पुलिस महानिरीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू एवं ए.सी.बी. रायपुर.	वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक लोक अभियोजन एवं संचालक, राज्य न्यायालिक प्रयोगशाला का अतिरिक्त प्रभार.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, उप-सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 नवम्बर 2019

शुद्धि पत्र

क्रमांक एफ 1-06/2019/दो-गृह/भापुसे.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03-11-2019 के सरल क्रमांक 04 एवं 05 में अंकित श्री हिमांशु गुप्ता (भापुसे-1994) एवं श्री के. एस. आर. पी. कल्लूरी (भापुसे-1994) के नाम के सम्मुख कॉलम 04 में टंकित पुलिस महानिरीक्षक को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पढ़ा जावें.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 दिसम्बर 2019

क्रमांक/एफ 7/04/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेन्द्र नारायण दाश, (भापुसे-2006), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन-1 पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 04 जनवरी 2020 (कुल 13 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 21, 22 दिसम्बर 2019 एवं 05 जनवरी 2020 की विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दाश आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन-1, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री दाश को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दाश, (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य कार्य करते रहते.

5. श्री राजेन्द्र नारायण दाश, (भापुसे-2006), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन-1, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमति नेहा पाण्डेय, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन-2, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 दिसम्बर 2019

क्रमांक/एफ 7/20/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती नेहा चंपावत, (भापुसे-2004), पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक/महिला सेल, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. को दिनांक 09-12-2019 से 11-12-2019 (कुल 03 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 08 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती चंपावत आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक/महिला सेल, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती चंपावत को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नेहा चंपावत (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ 20-47/2013/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-10-2019 द्वारी जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. कंडिका 2.13 में दिनांक दिनांक 31-10-2019 को जारी किये गये संशोधन के द्वारा जोड़ी गई कंडिका फ्रीहोल्ड पर भूमि के पैरा-4 के पश्चात् निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाता है :—

"परन्तु, फ्री होल्ड किये जाने के पूर्व राजस्व विभाग से प्रक्रिया पूर्ण कर उस भूमि आबंटी के द्वारा धारित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि पर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-59 के अनुसार भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण कराया जावेगा, जो कि देय संधारण शुल्क के अतिरिक्त होगा. तद्नुसार प्रावधान फ्री होल्ड हेतु जारी किये जाने वाले आदेश में अनिवार्य पालन हेतु अंकित किया जायेगा."

दिनांक 31-10-2019 को जारी संशोधन अधिसूचना के अन्य समस्त संशोधन यथावत रहेंगे.

उपरोक्त संशोधन इस विषय के जारी संशोधन अधिसूचना के जारी होने की दिनांक अर्थात् दिनांक 31-10-2019 से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 22 नवम्बर 2019

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/21691/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	अरदा	4.496 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02-12-2019 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन अरदा नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	59 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	59 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित उपाए किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 25 नवम्बर 2019

प्रारूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/21903/भू–अर्जन/2019.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	तेलसरा	2.571 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 12–12–2019 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन तेलसरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	30 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	30 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित उपाए किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	रेड़े प.ह.नं. 28	1.245	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के दांयी तट शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पेमला प.ह.नं. 25	1.259	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के दांयी तट शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	कोकियाखार प.ह.नं. 37	0.615	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना के कोकियाखार शाखा नहर क्र. 07 का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	खरकट्टा प.ह.नं. 14	4.150	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	खरकट्टा जलाशय योजना के डूबान एवं दांयी बांयी मुख्य नहर का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	बेलडेगी प.ह.नं. 26	1.457	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	घरजियांबथान जलाशय योजना की दांयी तट मुख्य नहर एवं शाखा नहर का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्रमांक/8935/6/अ-82/कले/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	आतुरबेड़ा	2.56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्रमांक/8937A/9/अ-82/कले/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	मड़पा	1.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्रमांक/8939A/33/अ-82/कले/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	खड़गांव	1.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	नहकसा जलाशय के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्रमांक/8941/5/अ-82/कले/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	एटेगांव	0.89	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	राजपुर व्यपवर्तन

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्रमांक/8942/10/अ-82/कले/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	कोलर	2.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्रमांक/8944/4/अ-82/कले/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	राजपुर	2.04	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	राजपुर व्यपवर्तन

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्रमांक/8946/11/अ-82/कले/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	कुम्हारी	2.89	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्रमांक/8948/8/अ-82/कले/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	वर्चे	3.07	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्रमांक/8950/7/अ-82/कले/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	पोटेबेड़ा	2.42	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	आतुरबेड़ा जलाशय के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्रमांक/8952A/28/अ-82/कले/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	कढ़ाईखोदरा	3.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	नहकसा जलाशय के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्रमांक/8954/28/अ-82/कले/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	बड़ेतोपाल	0.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	नहकसा जलाशय के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 19 जुलाई 2019

क्रमांक/6484/04/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-टाटावाही, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.171 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	66/2	0.056
	66/5	0.056
	75/6	0.059
योग	03	0.171

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज मध्यम परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर की वितरक शाखा नूनछापर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 16 अक्टूबर 2019

क्रमांक 19137/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोंड़ीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-कापूबहरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.598 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174/2	0.028
139/2, 174/1	0.101
175/1	0.032
138/1	0.081
137/1, 138/2	0.129
178/3	0.032
78/2	0.036
178/2	0.040
79	0.158
223/1	0.093
93/1	0.081
93/2	0.048
73/3, 89-90	0.057
78/1	0.016
266/2	0.146
263/1	0.065
88/5	0.109

(1)	(2)
223/3ख, 224/2ख, 263/2ख, 223/3ग	0.060
224/2ग, 263/2ग, 223/3क	0.089
224/2क, 263/2क, 223/3घ	0.101
224/2घ, 263/2घ, 224/3	0.142
225/1, 241/1च/1, 224/9	0.032
225/8, 241/8, 224/3,	0.012
225/2, 241/1च/2, 224/8,	0.061
225/6, 241/1च/6, 224/4,	0.049
225/3, 241/1च/3, 224/6,	0.040
225/4, 241/1च/4	0.045
227	0.121
94/1ख	0.081
91/1म	0.012
94/2ग	0.040
94/1क	0.061
94/2	0.012
88/3	0.073
88/4	0.069
78/3	0.073
78/4	0.036
237/11, 237/14	0.016
237/13, 237/12	0.016
236/2	0.057
236/1	0.016
175/2	0.032
योग 42	2.598

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–रामपुर जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पोंड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ–82/2016–17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
(क) जिला–रायगढ़
(ख) तहसील–सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम–टांगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल–0.414 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	74/2 ग	0.242
	89/2	0.172
योग	2	0.414

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ–82/2016–17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-टांडापाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	63/8घ	0.150
योग	1	0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बोईरडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	426/1	0.020
योग	1	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-माधोपाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	128/2	0.045
योग	1	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-चिखली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.308 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	128/1	0.012
	130/1	0.296
योग	2	0.308

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-खरवानी बड़े
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.788 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	277/3	0.089
	311/4	0.121
	167, 168/2	0.003
	311/3	0.101
	311/2क	0.433
	167, 168/1	0.041
योग	6	0.788

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-खुडबेना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.426 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
271/3	0.028
283	0.101
293/8क	0.029
189	0.085
180, 181, 186/2	0.081
287/1	0.041
293/8ख	0.061
योग 7	0.426

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–लीलार नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ–82/2016–17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम–तिलाईदादर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–0.972 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
236/1ख	0.008
377/1	0.053
375/1	0.029
241/1	0.102
291, 292, 293, 294, 301, 302/1ख	0.033
291, 292, 293, 294, 301, 302/2ख	0.065
291, 292, 293, 294, 301, 302/1क	0.055
241/2	0.117
235/2	0.065
232/2	0.008
375/2	0.073
241/3	0.117
236/2	0.016
234	0.190
383/1	0.008
384/1	0.033
योग 16	0.972

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–लीलार नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ–82/2016–17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम–बरभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–0.057 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	358/2ग	0.057
योग	1	0.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुडपार बडे
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.611 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
503/4	0.017
690/2	0.041
702/4	0.040
1104/7	0.004
1104/4	0.016
1104/5	0.034
710/4	0.040
705/3	0.020
1121	0.016
1018/3	0.016
635/1	0.081
868/7	0.012
868/5	0.012
1122	0.006
635/3	0.021
623/1	0.060
1036/5ग	0.012
511/3	0.053
635/4	0.045
623/10	0.032
869/4	0.008
699/3	0.025
योग 22	0.611

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-रामभांठा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.078 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
216, 217/1क	0.037
216, 217/1ख	0.041
योग 2	0.078

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 दिसम्बर 2019

क्रमांक/18595/स्थापना/2019.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक-चार के नियम-आठ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जनक प्रसाद पाठक, कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. वर्ष 2020 के लिये जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग. हेतु नीचे दर्शायी गई तारीखों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत)	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गणेश चतुर्थी	22 अगस्त 2020	श्रावण 21, 1942	शनिवार
2.	सर्व पितृमोक्ष अमावस्या	17 सितम्बर 2020	भाद्रपद 26, 1942	गुरूवार
3.	भाई दूज	16 नवम्बर 2020	कार्तिक 25, 1942	सोमवार

जनक प्रसाद पाठक,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर कबीरधाम (छत्तीसगढ़)

कबीरधाम, दिनांक 22 नवम्बर 2019

क्रमांक/10172/वरि.लि./अवकाश/2019.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-02 के अनुक्रमांक-04 की नियम 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कबीरधाम के लिए निम्नलिखित तिथियों में कैलेण्डर वर्ष 2020 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	पर्व/त्योहार	दिन	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रावण मास का प्रथम सोमवार	सोमवार	06 जुलाई 2020

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	दशहरा (महानवमी)	शनिवार	24 अक्टूबर 2020
3.	दीपावली का तीसरा दिन (भाई दूज)	सोमवार	16 नवम्बर 2020

टीप :— उपरोक्त तिथियों में कोषालय/उप कोषालय यथावत खुले रहेंगे.

हस्ता./-
अतिरिक्त कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर जिला बेमेतरा (छ.ग.)

बेमेतरा, दिनांक 28 नवम्बर, 2019

क्रमांक/5657/वि.लि.प्र./2019.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो अनुक्रमांक 04 के नियम 08 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं शिखा राजपूत तिवारी, कलेक्टर, बेमेतरा वर्ष 2020 हेतु बेमेतरा जिला में स्थित समस्त सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं के लिये निम्नलिखित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित करती हूं :—

क्र. (1)	स्थानीय अवकाश का नाम (2)	दिनांक (3)	दिन (4)
1.	पोला	18-08-2020	मंगलवार
2.	दशहरा (महानवमी)	24-10-2020	शनिवार
3.	भाई दूज	16-11-2020	सोमवार

यह अवकाश कोषालय/उप कोषालय एवं बैंकों के लिये लागू नहीं होगा.

शिखा राजपूत तिवारी,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 29 नवम्बर 2019

क्रमांक/8326/ज्ये.लि. 1/2019.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-02 का अनुक्रमांक-04 के नियम-08 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जयप्रकाश मौर्य कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के लिये निम्नलिखित तिथियों में कलेंडर वर्ष 2020 के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्र. (1)	त्यौहार का नाम (2)	घोषित अवकाश के दिनों की संख्या (3)	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (4)	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत) (5)	सप्ताह का दिन (6)	स्थान (7)
1.	गोविंदा उत्सव	एक	13-08-2020	श्रावण 22/1942	गुरूवार	केवल डोंगरगढ़ तहसील के लिए

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	गणेश विसर्जन	एक	02-09-2020	भाद्रपक्ष 10/1942	मंगलवार	(डोंगरगढ़ तहसील को छोड़कर) संपूर्ण जिला
3.	दशहरा (महानवमी)	एक	24-10-2020	कार्तिक 02/1942	शनिवार	संपूर्ण जिला
4.	भाई दूज	एक	16-11-2020	कार्तिक 25/1942	सोमवार	संपूर्ण जिला

यह अवकाश बैंक/कोषालय पर लागू नहीं होगा.

जय प्रकाश मौर्य,
कलेक्टर.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 1-79/2017/सत्रह/एक नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 सितम्बर 2019

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर

सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम—2017

(1) **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

(1) ये नियम ''छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम – 2017'' कहलायेंगे.

(2) ये नियम आदेश जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

(2) **परिभाषाएं :** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) ''राज्य'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य,

(2) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,

(3) ''शासन '' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन

(4) ''विभाग'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

(5) ''सामान्य प्रशासन विभाग'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन का सामान्य प्रशासन विभाग,

(6) ''निगम'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर,

(7) ''संचालक मंडल'' (बोर्ड) से अभिप्रेत है शासन द्वारा गठित छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर का संचालक मंडल,

(8) ''प्रबंध संचालक'' से अभिप्रेत है शासन द्वारा नियुक्त निगम का प्रबंध संचालक.

(9) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर सेवा,

(10) ''नियम'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर ''सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2017''.

(11) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, ऐसे प्राधिकारी जिन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के संचालक मंडल द्वारा उक्त सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी गई हो अथवा इन नियमों के लागू होने के पश्चात् सौंपी जाये,

(12) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत है, जैसी 'संचालक मण्डल' द्वारा विहित की जाये, किन्तु निगम में प्रथम बार की जाने वाली सीधी भर्ती से नियुक्तियों के लिये चयन समिति का अध्यक्ष पद पर अपर संचालक स्तर से निम्न स्तर का नही होगा, को मनोनीत किया जायेगा. प्रथमबार की गई नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होते ही नियम का यह भाग–12 स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा.

(13) ''पदोन्नति समिति'' से अभिप्रेत है पदोन्नति हेतु निम्नानुसार गठित समिति अनूसूची 4 में उल्लेखित समिति.

(13.1) **गैर तकनीकी पदों पर पदोन्नति हेतु–**

1.	प्रबंध संचालक	अध्यक्ष
2.	बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी	सदस्य (अजा/अजजा)
3.	बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी	सदस्य (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग)
4.	महाप्रबंधक (प्रशासन),, सीजीएमएससी लिमि.	सदस्य

(13.2) **तकनीकी (दवाई एवं उपकरण) पदों पर पदोन्नति हेतु –**

1.	प्रबंध संचालक	अध्यक्ष
2.	महाप्रबंधक(तकनीकी/उपकरण)	सदस्य
3.	बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी	सदस्य (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग)
4	बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी	सदस्य
5.	महाप्रबंधक (प्रशासन), सीजीएमएससी लिमि.	सदस्य

(13.3) **तकनीकी (निर्माण शाखा) पदों पर पदोन्नति हेतु –**

1.	प्रबंध संचालक	अध्यक्ष
2.	अधीक्षण अभियंता	सदस्य
3.	बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी	सदस्य (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग)
4	बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारी	सदस्य
5.	महाप्रबंधक (प्रशासन), सीजीएमएससी लिमि.	सदस्य

उपरोक्त समिति में आवश्यक होने पर एक सदस्य को सम्मिलित करने का अधिकार अध्यक्ष, सीजीएमएससी को होगा।

(14) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(15) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति,

(16) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा निर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग,

(17) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(18) आचरण नियम से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू किया गया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम–1965 एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये संशोधन.

(3) **नियमों का विस्तार तथा लागू होना :** छ.ग. सिविल सेवा की सामान्य शर्त नियम 1961 सेवा के अंतर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

(4) **सेवाओं का गठन :** सेवाओं में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् –

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से धारण कर रहे हों.

(2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर की सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर सेवा में भर्ती किये जायें.

(5) **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि :** वेतनमान का वर्गीकरण तथा उससे संलग्न सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी.

परन्तु शासन की अनुमति से छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर समय–समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि अथवा कमी कर सकेगी.

(6) **भर्ती का तरीका :**

(1) इन नियमों के लागू होने के पश्चात् सेवाओं में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात :–

(क) सीधी भर्ती द्वारा

(ख) पदोन्नति द्वारा

(ग) प्रतिनियुक्ति द्वारा

(घ) संविलियन द्वारा

(2) उप नियम (1) के खण्ड (क) से खण्ड (घ) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शाये गये पदों की संख्या/प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन भर्ती की किसी भी विशेश कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा कि किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालक मंडल के परामर्श से निश्चित की जायेगी.

(4) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा अपेक्षित हो, तो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर, संचालक मंडल की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों को छोड़ जिनका उक्त उप नियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी जो कि वह इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा निर्धारित करें.

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए चयन समिति निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियुक्ति की अनुशंसा कर सकेगी। यह भी कि समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के साथ–साथ अथवा पृथक से अन्य युक्तिसंगत मापदण्डों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन संचालक मंडल की अनुमति से किया जा सकेगा.

(6) भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

(7) **सेवाओं में नियुक्ति :** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियॉ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी नियुक्तियॉ नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक के द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

(8) **सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तें :** परीक्षा में स्पर्धा करने/चयन किये जाने के लिए पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :–

(1) **आयु–**

(क) उसने चयन/परीक्षा प्रारंभ होने के दिनांक के ठीक पूर्व जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची तीन के कालम 05 तथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो.

(ख) सीधी भर्ती के समस्त पदों पर राज्य शासन द्वारा दी जानी वाली आयु सीमा की छूट दी जावेगी.

(ग) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो आयु की उच्चतर सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी.

(घ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम–4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ड) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन/निगम/मंडल के नियमित, स्थायी, अस्थायी, संविदा के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी,

अर्थात्–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय कर्मचारी हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो ''छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी'' हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त स्थायी सेवा को अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण : शब्द ''छंटनी किये गये शासकीय कर्मचारी'' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया था.

(च) ऐसे अभ्यर्थी, जो 'भूतपूर्व सैनिक' है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण : शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर सेवा करता रहा हो तथा जिनको किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा, आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो.

(एक) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें मस्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन सेवा से मुक्त कर दिया गया हो.

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें :–

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवा मुक्त किये गये हों.

(चार) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों के विरूद्ध छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें आसक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं रहे.

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(छ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(च) अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) ''शहीद राजीव पाण्डे/गुण्डाधर/महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त'' अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों, होम गार्ड तथा होम गार्ड के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम आयु सीमा 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(ट) शासन द्वारा घोषित अनुकंपा नियुक्ति के नियमों के अनुरूप निगम के अधिकारी कर्मचारियों के परिवारजनों को दी जाने वाली नियुक्ति में राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम लागू माने जायेंगे.

टिप्पणी: ऐसे अथ्यर्थी जो उपर्युक्त खण्ड (ड) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाए गए हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन/परीक्षा के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं. तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की गई हो तो वे पात्र बने रहेंगे.

(ठ) ऐसे अभ्यर्थी जो सीजीएमएससी की सेवा में संविदा/स्थायी/अस्थायी रूप से कार्यरत है उन्हे शासन द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की शिथिलता दी जावेगी. किन्तु किसी भी दशा में यह आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी.

(2) **अर्हताएँ–** अभ्यर्थी के पास ऐसी अर्हताएँ होनी चाहिए, जो अनुसूची तीन एवं चार में संदर्भित पद के लिए विहित की गई हैं. अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में विशेष परिस्थितियों में अर्हता शिथिल करने का अधिकार संचालक मंडल को होगा.

(3) **फीस–** अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

(9) **निरर्हता :** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी अनुचित साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके परीक्षा/चयन में प्रवेश के सम्बन्ध में निरर्हता के रूप में माना जायेगा.

(10) **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगाः** परीक्षा में बैठने के सम्बन्ध में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.

(11) **सीधी भर्ती की प्रक्रिया :**

(1) चयन समिति द्वारा सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन मेरिट सूची एवं साक्षात्कार अथवा लिखित/कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार अथवा केवल साक्षात्कार, जैसा कि चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, के द्वारा किया जाएगा.

टीपः तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी का साक्षात्कार के स्थान पर कौशल परीक्षा ली जावेगी.

(2) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित किये जायेंगे.

(3) उप नियम (2) के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को भरने में नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की सूची पर विचार नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जायेगा चाहे मूल सूची की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो.

(4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 (तीस) प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे.

(5) शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग से जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण का प्रावधान रहेगा.

(6) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव, आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शत को संचालक मंडल के परामर्श से शिथिल कर सकेगा.

(7) **''केवल एक बार के लिये विशेष प्रावधान'' (One time Special Provison):–** सीजीएमएससी लिमि का गठन आवश्यकता के आधार पर दवा, उपकरण एवं स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आवश्यकतानुसार अधोसंरचना निर्माण कार्यों के संपादन हेतु किया गया था. सीजीएमएससी लिमि के अस्तित्व में आते ही निगम के कार्य संचालन हेतु तात्कालिक कार्य व्यवस्था के तहत, विभागीय भर्ती नियमों के अस्तित्व में नहीं होने के दृष्टिगत, उपरोक्त कार्यों के सुचारू संपादन हेतु समय–समय पर कतिपय संवर्गों में अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा के आधार पर नियुक्तियां तत्समय की गई थी. इन भर्ती नियमों के प्रभावशील होने की तिथि तक, निगम में तात्कालिक कार्य व्यवस्था के तहत पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को ''केवल एक बार के लिये विशेष प्रावधान (One time Special Provison)'' के अंतर्गत कार्यानुभव के बोनस अंकों का लाभ निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जायेगा :–

1– कार्यानुभव के बोनस अंकों का लाभ, विभागीय भर्ती नियमों के अस्तित्व में आने की तिथि के पश्चात्, केवल प्रथम बार जारी होने वाला विज्ञापन के अनुसरण में की जाने वाली नियुक्तियों के लिये ही प्रभावी होगा. किसी भी दशा में, इसका लाभ तत्पश्चात् की जाने वाली नियुक्तियों के लिये प्रभावशाली नहीं होगा.

2— छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन के कार्य संचालन हेतु तात्कालिक कार्य व्यवस्था के तहत अर्थात् पूर्व में नियुक्त एवं कार्यरत् संविदा कर्मियों को, उनके वर्तमान पद (जिस पद पर इन नियमों के प्रभावशील होने की तिथि पर कार्यरत हैं) के लिये नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में ही उन्हें कार्यानुभव के बोनस अंकों का लाभ पाने की पात्रता होगी.

3— छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन के कार्य संचालन हेतु तात्कालिक कार्य व्यवस्था के तहत अर्थात् पूर्व में नियुक्त एवं कार्यरत् संविदा कर्मियों, जो बिना सेवा बाधित हुए इन भर्ती नियमों के प्रभावशील होने की तिथि पर भी निरंतर रूप से सेवारत् हैं, केवल उन्हें ही कार्यानुभव के बोनस अंकों का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी. जो व्यक्ति पूर्व में संविदा में नियुक्त थे, किन्तु इन नियमों की प्रभावशीलता से पूर्व ही, सेवा त्याग चुके हैं, उन व्यक्तियों को बोनस अंकों का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

4— कार्यानुभव के बोनस अंकों एवं भर्ती की प्रक्रिया के निर्धारण का निर्णय संचालक मण्डल द्वारा लिया जायेगा.

5— निगम द्वारा प्रथम बार की गई नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होते ही, बोनस अंकों संबंधी नियम का यह भाग (11.7) स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा.

(8) सीजीएमएससी लिमि. में पूर्व में विभिन्न पदों पर संविदा में कर्मचारी कार्यरत् है। राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप में इन पदों को नियमित पदों के रूप में नये पदनाम से सृजित किया गया है. अतः नीचे सारणी में दिये गये सीजीएमएससी संविदा पदनाम, इनके सम्मुख अंकित विज्ञापित पद हेतु आवेदन करने पर बोनस हेतु मान्य होगें.

क्रं.	सीजीएमएससी संविदा पद नाम	सेटअप में स्वीकृत सीजीएमएससी नये पदनाम
1	उप अभियंता (सिविल), उप अभियंता (आर्किटेक्ट).	उप अभियंता
2	प्रशासनिक अनुभाग अधिकारी	व्यवस्थापक अनुभाग अधिकारी
3	प्रशासनिक अधिकारी	प्रबंधक (प्रशासनिक)
4	असिस्टेन्ट बायो मेडिकल इंजीनियर	बायो मेडिकल इंजीनियर

(12) **चयन समिति द्वारा अनुशंसित किये गये अभ्यर्थियों की सूची :**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति द्वारा निश्चित किये गये ऐसे मानकों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की सूची योग्यता क्रम से बनाएगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अहर्ताधारी नहीं है, किन्तु जिन्हें चयन समिति ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, बनायेगा. यह सूची सर्वसाधारण की सूचना के लिए भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में दिये गये नामों के क्रम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जायेगा.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने संबंधी तथ्य ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा जांच करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(13) **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिए गठित समिति परिभाषित है.

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों पर होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक नहीं हो.

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रहेगा.

(4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया उप नियम 3 में उल्लेखित नियम तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार रहेगी.

(14) **पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें:**

(1) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(2) उप नियम 1 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए समिति उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जो शासन के नियमों के अंतर्गत विचारण क्षेत्र में आते हों तथा जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को उन पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो (स्थानापन्न या मौलिक रूप से) वह अर्हता प्राप्त कर ली हो जो अनुसूची 'चार' के कॉलम 5 में उल्लेखित है.

स्पष्टीकरण : पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति–वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना उस वर्ष से की जायेगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद में आया है.

(15) **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना :**

(1) पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें पदोन्नति समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी.

(2) 'ब' वर्ग से 'अ' वर्ग के पद पर पदोन्नति के लिए कर्मचारियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियारिटी कम मेरिट) होगी.

(3) वरिष्ठ 'स' वर्ग से 'ब' वर्ग के पद पर पदोन्नति के लिए कर्मचारियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता (सिनियारिटी कम मेरिट) होगी.

(4) 'द' वर्ग से 'स' वर्ग के पद पर पदोन्नति के लिए अधिकारियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड ''वरिष्ठता –सह–उपयुक्तता' (सीनियरिटी कम मेरिट) होगी.

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची–चार के कालम–4 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे.

(6) ऐसी तैयार की गई सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जायेगी. तैयार की गई सूची पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से एक वर्ष के लिए अथवा अगली पदोन्नति समिति की बैठक एक वर्ष से पूर्व होने पर अगली पदोन्नति समिति की बैठक तक के लिए वैध होगी.

(7) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, यथास्थिति, सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाता है, तो समिति ऐसे प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए इसके कारणों का उल्लेख करेगी.

(16) **चयन सूची :**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई चयन सूची, अनुसूची चार के कालम 4 में दर्शाये गये पदों से अनुसूची चार के कॉलम 6 में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(2) सामान्यतः वर्षवार पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार की जावेगी.
परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी को संसूचना प्राप्त होने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा, और यदि वह उचित समझें तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा.

(17) **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :**

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की नियुक्तियां छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के आधार पर संचालक मंडल के निर्देशों के अनुसार की जावेगी.

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की अवधि में, उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो.

(18) **प्रतिनियुक्ति :** पदोन्नति के ऐसे पद जो रिक्त है को शासन के नियमानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जावेगा. किन्तु जैसे ही अनुसूची 4 के कॉलम 4 में विर्निदिष्ट उम्मीदवार अनुसूची 4 के कॉलम 6 में विर्निदिष्ट पद के योग्य हो जावेगा प्रतिनियुक्ति समाप्त हो जावेगी.

(19) **संविलियन :** केवल सीधी भर्ती के पदों में सतत(3बार) विज्ञापन पश्चात यदि योग्य उम्मीदवार नही चयनित होता है उस दशा में उक्त पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जावेगा एवं केवल ऐसे पदों का ही संविलियन शासकीय आदेश तथा शासन के नियमानुसार किया जाएगा.

(20) **नियमों तथा आदेशों का पालन करने का दायित्व :**प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी इन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा/करेगी और उनका पालन करेगा/करेगी और ऐसे सभी आदेशों और निर्देशों का पालन, अनुपालन और परिपालन करेगी/करेगा, जो समय–समय पर उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए जाए, जिसके अधिकार क्षेत्र अधीक्षण या नियंत्रण के अधीन उसे तत्समय रखा गया है. शासन द्वारा समय–समय पर यथा सशोधित छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965, निगम के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे.

(21) **कर्मचारी निगम के हितों का संवर्धन करेंगे :** प्रत्येक कर्मचारी निगम की सेवा ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक करेगा/करेगी और वह निगम के हितों के संवर्धन के भरसक प्रयास करेगा/करेगी और प्रत्येक व्यक्ति के साथ, जिसके साथ निगम के एक कर्मचारी की हैसियत में उसका संपर्क हो, सभी संव्यवहारों में, परस्पर क्रियाओं में (सौजन्य प्रदर्शित करेगा/करेगी) और उस पर ध्यान देगा/देगी.

(22) **राजनीति में भाग लेने तथा निर्वाचन के लिए खड़े होने पर निषेध :** कोई भी कर्मचारी राजनीति में या किसी भी राजनैतिक प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या विधायी निकाय के निर्वाचन में खड़ा नहीं होगा या उसका सदस्य नहीं होगा.

(23) **समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में लेखन/वक्तव्य :** कोई भी कर्मचारी, प्रबंध संचालक की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में शासन/निगम की नीतियों एवं अन्य विषयों से संबंधित लेख आदि नहीं लिखेगा या कोई भी ऐसे दस्तावेज, कागज पत्र की जानकारी, जो उसकी पदीय हैसियत से उसके अधिकार में हो प्रकाशित नहीं करवाएगा अथवा इस संबंध में वक्तव्य नहीं देगा.

आचरण, अनुशासन और अपील

(24) **कर्मचारी की सेवा का विस्तार क्षेत्र :** जब तक किसी मामले में सुस्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, तब तक निगम का प्रत्येक कर्मचारी पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और वह निगम के कार्य में उसकी सेवा हैसियत और ऐसे स्थान में करेगा/करेगी, जैसे कि उसे समय–समय पर प्रबंध संचालक/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्देश दिए जाएं.

(25) **कर्मचारी बाहरी नियोजन स्वीकार नहीं करेगा :** कोई भी कर्मचारी, प्रबंध संचालक की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी बाहरी नियोजन या पद चाहे वह वैतनिक हो या अवैतनिक स्वीकार नहीं करेगा/पद के लिये आवेदन नहीं करेगा या प्रयास नहीं करेगा.

(26) **बाहरी निकायों के लिये अंशकालिक कार्य :** कोई भी कर्मचारी, प्रबंध संचालक की मंजूरी के बिना किसी भी अशासकीय या शासकीय निकाय या किसी व्यक्ति के अंशकालिक कार्य नहीं करेगा या उसके लिये फीस स्वीकार नहीं करेगा. प्रबंधक संचालक केवल आपवादित मामलों में तभी मंजूरी देगा जब उसका यह समाधान हो जाये कि इस कार्य के लिये कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई फीस का भुगतान पूर्णतः या अंशतः निगम को किया जायेगा.

(27) **उच्च अध्ययन के लिए अनुमति :** कोई भी कर्मचारी अनुमति के बिना उच्च अध्ययन/अंशकालिक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होगा. यदि प्रबंध संचालक को यह राय हो कि ऐसी अनुमति से निगम के कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वह अनुमति दे सकेगा. प्रबंध संचालक, जहां कहीं आवश्यक हो, किसी भी समय निगम के हित में अनुमति वापस ले सकेगा.

(28) **उच्चतर प्राधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार :** कोई भी कर्मचारी अपनी शिकायतों के सिलसिले में प्रबंध संचालक/अध्यक्ष के सिवाय किसी भी उच्चतर प्राधिकारी के साथ सीधा पत्र व्यवहार/पृष्ठांकन नहीं करेगा.

(29) **कर्मचारी अनुमति के बिना कर्तव्य पर अनुपस्थित नहीं रहेंगे या विलंब से उपस्थित नहीं होंगे :**

(क) कोई भी कर्मचारी, प्रबंध संचालक से या अपने पर्यवेक्षण अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित नहीं रहेगा और न वह बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में, ऐसी अनुपस्थिति के तीन दिनों के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना अनुपस्थित रहेगा, परंतु अस्थायी अस्वस्थता के मामले में, प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से, चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण से छूट दे सकेगा.

(ख) यदि कोई कर्मचारी, अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों को छोड़ जिनके लिये उसे संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा अवकाश लिये बिना अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहे या अवकाश की अवधि के बाद अनुपस्थित रहे, तो वह ऐसी अनुपस्थित पर अवकाश की अवधि के परे अनुपस्थित रहने की अवधि के लिये कोई भी वेतन तथा भत्ते आहरित करने का हकदार नहीं होगा. ऐसी अप्राधिकृत अनुपस्थिति को, जैसा कि प्रबंध संचालक द्वारा निश्चित किया जाये, देय अवकाश या असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि माना जा सकेगा.

(ग) यदि कोई कर्मचारी, अनुमति के बिना अपने कर्तव्य पर आदतन विलंब से उपस्थित होता हो तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जैसी शास्ति अधिरोपित करना प्रबंध संचालक द्वारा उचित समझा जाये या प्रबंध संचालक के स्वविवेक से, किसी माह में उसके विलंब से उपस्थित होने के प्रत्येक तीन दिन के लिए उसका एक आकस्मिक अवकाश समाहित कर लिया जायेगा. परंतु यदि ऐसे कर्मचारी को कोई भी आकस्मिक अवकाश देय न हो तो समाहित की जाने वाली अवकाश अवधि को, जैसा प्रबंध संचालक द्वारा निश्चित् किया जावे, देय अवकाश या असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि माना जा सकेगा.

(30) **मुख्यालय से अनुपस्थिति :** कोई भी कर्मचारी, प्रबंध संचालक अधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त किये बिना, अपने मुख्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेगा.

(31) **उपहारों की स्वीकृति :** इस संबंध में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधान लागू होंगे.

(32) **प्रशंसापत्र आदि स्वीकार करना :** कोई भी कर्मचारी, प्रबंध संचालक की पूर्व मंजूरी को छोड़ :–
कोई भी अभिनंदनात्मक या प्रशंसात्मक मानपत्र ग्रहण नहीं करेगा, उसे प्रस्तुत किये गये कोई भी प्रशंसापत्र स्वीकार नहीं करेगा या उसके सम्मान में आयोजित किसी भी सार्वजनिक सभा या उत्सव में उपस्थिति नहीं होगा.

(33) **कर्मचारियों द्वारा संघो में सम्मिलित होना :** निगम का कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे संघ, संगठन अथवा समूह की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा या उसकी गतिविधियों में भाग नहीं लेगा जो भारत सरकार/राज्य शासन/निगम द्वारा प्रतिबंधित है.

(34) **निजी व्यापार या कारोबार :** निगम में कार्यरत कोई भी कर्मचारी स्वयं के या दूसरे के एजेंट के रूप में किसी भी वाणिज्यिक कारोबार या धंधे में काम नहीं करेगा, न ही भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य बीमा कंपनी के बीमा एजेंट के रूप में कार्य करेगा तथा न ही किसी संयुक्त पूंजी कम्पनी/फर्म में अंशधारक/हिस्सेदार अथवा प्रबंधन में सम्बद्ध होगा. साथ ही निगम में कार्यरत कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उनके परिवार का उन पर आश्रित सदस्य किसी भी ऐसी संस्था के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार नहीं रखेगा जिसका निगम के साथ परोक्ष या अपरोक्ष के रूप से वाणिज्यिक/अधिकारिक/प्राशसनिक संबंध हो.

(35) **स्टीक, शेयरों आदि में सट्टा लगाना :** कोई भी कर्मचारी, किसी भी प्रकार का सट्टा नहीं लगायेगा परंतु इस नियम में किसी बात के होते हुए किसी कर्मचारी पर अपनी स्वयं की निधियों से ऐसी रीति से जैसी वह आवश्यक समझे, वास्तविक विनियोजन करने से रोक नहीं होगी साथ ही निगम का कोई भी कर्मचारी किसी भी ऐसी संस्था/कम्पनी/फर्म जिससे पदीय संव्यवहार हो, उनमें किसी भी प्रकार का नियोजन नहीं करेगा.

(36) **उधार तथा विनियोजन पर प्रतिबंध :**

(क) कोई भी कर्मचारी ऐसा कोई विनियोजन नहीं करेगा और न अपने परिवार के आश्रित किसी सदस्य को ऐसा विनियोजन करने की अनुमति देगा, जिससे कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उसके प्रभावित हो जाने की संभावना हो.

(ख) कोई कर्मचारी किसी ऐसे दलाल या अपने अधीनस्थ निगम के किसी ऐसे कर्मचारी या किसी ऐसी फर्म या ऐसे व्यक्ति से, जिसका निगम से लेनदेन हो, पैसे उधार नहीं लेगा या आर्थिक अनुग्रह स्वीकार नहीं करेगा.

(37) **ऋणग्रस्त कर्मचारी :**

(क) जब निगम का कोई कर्मचारी दिवालिया हो या दिवालिया घोषित हो गया हो या जब ऐसे कर्मचारी के वेतन का आधा भाग अक्सर कुर्क कर लिया जाता हो या उसका वेतन दो वर्ष से अधिक अवधि के लिये कुर्की के अधीन हो या ऐसी रकम के लिए कुर्क किया जाता हो, जिसे सामान्य परिस्थितियों में उसके व्यक्तिगत स्त्रोतों पर ध्यान देने पर ऐसा प्रतीत हो कि अपरिहार्य चालू व्ययों को देखते हुये दो वर्षों की अवधि में वह चुकाया नहीं जा सकता तो उसे बर्खास्त कर दिया जायेगा.

(ख) जब किसी कर्मचारी के वेतन का आधा भाग कुर्क किया जाये तो प्रतिवेदन में यह दर्शाया जायेगा कि उसके वेतन से ऋण का क्या अनुपात है तथा उससे कहां तक निगम के कर्मचारी की दक्षता पर आँच आयेगा, क्या ऋणी की स्थिति असाध्य है, क्या मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उसे उस समय पद पर, जिस समय मामला जानकारी में आया था निगम के किसी अन्य पद पर रखना वांछनीय होगा.

(ग) इस नियम के अधीन प्रत्येक मामले में यह सिद्ध करने का भार ऋणी पर होगा कि ऋणग्रस्तता उन परिस्थितियों का परिणाम है, जिनका सामान्य प्रयास द्वारा पूर्वानुमान लगाना ऋणी के लिए संभव नहीं था या जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था और वह ऋणग्रस्तता अपव्यय या फिजूलखर्ची का परिणाम नहीं थी.

(38) **ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया गया कर्मचारी :**

(क) ऐसे कर्मचारी को जिसे ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तथा उसे 48 घंटे तक निरूद्ध रखा जाता है तो उसे उसकी गिरफ्तारी की तारीख से निलंबित माना जायेगा तथा किसी निलंबित कर्मचारी को स्वीकार्य भुगतान उसे तब तक अनुमत होंगे तब तक कि उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त न हो जाये. उसके वेतन और भत्ते के मामले परिस्थितियों के अनुसार, तथा इस कार्यवाही के निर्णय के प्रकार में समायोजित किये जायेंगे कि क्या उसकी अनुपस्थिति को कर्तव्य अवधि या छुट्टी अवधि या निलंबन में व्यतीत की गई अवधि के रूप में परिगणित किया जाये. संपूर्ण वेतन और भत्ते केवल उसी स्थिति में दिए जायेंगे जबकि कर्मचारी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो, और उसे अनुपस्थिति की अवधि में कर्तव्य पर उपस्थित माना गया हो और जिसमें से वह अवधि घटा दी जायेगी, जो कर्मचारी ने वास्तव में कारावास में बितायी हो. किसी कर्मचारी को किसी अपराध में सिद्धदोष ठहराया गया हो, बर्खास्त कर दिया जायेगा.

स्पष्टीकरण :– इस नियम में अभिव्यक्ति ''कार्रवाई की समाप्ति'' से तात्पर्य उस न्यायालय के निर्णय से है, जिसने मामले का अंतिम रूप से निपटारा कर दिया हो. निगम के ऐसे कर्मचारी को, जिसे जेल भेजा गया हो या आपराधिक आरोप में सिद्धदोष ठहराया गया हो, उस तारीख से, जिस तारीख को न्यायालय द्वारा उसे सिद्धदोष ठहराया गया हो, बर्खास्त करने की छूट होगी.

(39) **शास्तियाँ :** कोई कर्मचारी निगम के नियमों को भंग करे या जो उदासीनता, अदक्षता प्रदर्शित करे या जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करे, जो निगम के हितों या प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो या उसके अनुदेशों के विपरीत हो, या जो अनुशासन भंग करे या जो दोषी हो या जो दुराचरण या दुर्व्यवहार का कोई कार्य करे, ऐसे कर्मचारियों पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियम एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधान लागू होंगे.

अपील

(40) **अपील करने का अधिकार :**

(1) किसी कर्मचारी को किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे किसी आदेश के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा, जिससे उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो.

(2) कोई भी अपील उस आदेश के प्राप्त होने के साठ दिनों के बाद नहीं की जायेगी, जिसके विरूद्ध अपील की जानी है किंतु अपीलीय अधिकारी विलंब से प्राप्त अपील पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे.

(41) **अपीलीय प्राधिकारी :** अपील निम्नलिखित को प्रस्तुत की जायेगी –

(क) किसी ऐसे अन्य अधिकारी, जो इन नियमों के द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता हो, द्वारा पारित ऐसे आदेशों के विरूद्ध प्रबंध संचालक को, तथा

(ख) प्रबंध संचालक के आदेशों के विरूद्ध अध्यक्ष को.

(ग) अध्यक्ष के आदेशों के विरूद्ध संचालक मंडल को.
संचालक मंडल द्वारा पारित किसी मूल आदेश के पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन के लिये आवेदन ऐसे आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के अंदर अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे अध्यक्ष द्वारा संचालक मंडल के पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत कराया जा सकेगा.

(42) **अपील में निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए :** प्रत्येक अपील में निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन होना चाहिये :–

(क) इसमें नियम 40 (1) की अपेक्षा का पालन किया गया हो,

(ख) यह हिन्दी में लिखी जायेगी,

(ग) इसमें नम्र तथा सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया जायेगा तथा अनावश्यक या निरर्थक शब्दाडम्बर से बचा जायेगा.

(घ) इसमें सभी तथ्यात्मक विवरण एवं उस पर आधारित तर्क होंगे तथा वह अपने आप में पूर्ण होगी.

(ङ) इसमें मांगी गयी राहत का उल्लेख होगा.

(च) यह उचित माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी.

(43) **अपील कब रोकी जा सकेगी :** किसी अपील को, यथास्थिति, प्रभारी अधिकारी या प्रबंध संचालक द्वारा रोका जा सकेगा यदि :–

(क) इसमें नियम 40 (1) की अपेक्षा का पालन न किया गया हो,

(ख) यह स्पष्ट न हो या बोधगम्य न हो,

(ग) यह ऐसे मामले में की गयी हो, जिसका व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से संबंध न हो,

(घ) इसे उस प्राधिकारी द्वारा, जिसे पहले अपील की गयी हो रद्द कर दिया हो, दुबारा की गयी हो तथा यथास्थिति, प्रभारी अधिकारी या प्रबंध संचालक की राय में अपील किसी भी प्रकार परिस्थितियों के उन नये मुद्दों को उद्घाटित नहीं करती, जिनके आधार पर दुबारा विचार करने के लिये उसे प्रस्तुत किया गया हो परंतु यह कि तब इस खण्ड के अधीन कोई अपील रोक ली जाये तो प्रभारी अधिकारी या प्रबंध संचालक उन कारणों का एक विवरण, जिनके आधार पर अपील रोकी गयी हो, अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा.

(ड) इसे ऐसे प्राधिकारी को सम्बोधित किया गया हो जिसे इन नियमों के अधीन कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जाती.

(44) **अपील रोक रखने का आधार, आवेदक को सूचित किये जायेंगे :** प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें अपील रोक ली जाये, अपील को रोकने वाला प्राधिकारी अपील रोकने के तथ्य तथा उसे रोकने के कारण आवेदक को सूचित करेगा.

(45) **अपील प्रेषण सहित अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित की जानी चाहिये :** अपील, जो नियम 48 के अधीन न रोकी गयी हो, यथाशीघ्र, यथास्थिति प्रभारी अधिकारी या प्रबंध संचालक की टिप्पणी सहित अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित की जायेगी.

(46) **अपील रोकने के आदेश के विरूद्ध अपील :** नियम 48 के अंतर्गत रोकी गई अपील के आदेश के विरूद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी.

(47) **अपील संचालकों या राज्य शासन को संबोधित नहीं की जायेगी :** अपीलें व्यक्तिगत रूप में मंत्री या राज्य प्रशासन के अधिकारियों या संचालक मंडल के संचालकों को संबोधित नहीं की जायेगी, तथा ऐसी कोई कार्यवाही अनुशासन भंग मानी जायेगी.

(48) **संयुक्त याचिकायें :**

(1) किसी मान्यता प्राप्त संघ द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी संयुक्त याचिका पर विचार नहीं किया जायेगा यदि :–

(क) इसका संबंध किसी ऐसे विषय से हो, जिस पर आदेश पारित करने के लिये प्रबंध संचालक प्राधिकृत हो तथा निवारण के लिये उसे कोई आवेदन प्रस्तुत न किया गया हो,

(ख) इसका संबंध किसी ऐसे मामले से हो जिसके निवारण के संबंध में किसी नियम या निगम द्वारा जारी किसी अनुदेश के अधीन कोई विर्निदिष्ट प्रक्रिया विहित की गयी हो, या

(ग) इसका संबंध किसी व्यक्ति से हो तथा उसके द्वारा इसे प्रस्तुत न किया गया हो,

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसी संयुक्त याचिकाएं जो किसी मान्यता प्राप्त संघ के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हों, विचारणीय नहीं होंगी.

वेतन भत्ते तथा अन्य रियायतें

(49) **वेतन तथा भत्ते :** निगम के अधीन विभिन्न पदों से संलग्न वेतनमान वही होंगे, जो शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप में मान्य किये गये हैं.

(50) **कब प्रोदभूत तथा भुगतान योग्य होंगे :** इन नियमों के उपबंधो के अध्ययीन वेतन तथा भत्ते किसी कर्मचारी की सेवा के प्रारंभ से प्रोदभूत होंगे तथा माह के अंतिम कार्य दिवस को भुगतान योग्य होंगे.

(51) **कब बन्द होंगे :** सेवा में न रहने पर किसी कर्मचारी के वेतन और भत्ते बन्द हो जायेंगे. निगम की सेवा से किसी कर्मचारी के बर्खास्त कर दिये जाने के मामले में वे उसकी बर्खास्तगी की तारीख से बन्द हो जायेंगे. सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के मामले में मृत्यु होने की अगली तारीख से बन्द हो जायेंगे.

(52) **माह के किसी भाग के लिये कब से भुगतान नहीं किया जायेगा :** किसी ऐसे कर्मचारी को जो एक माह की समुचित सूचना के बगैर अपनी सेवा छोड़ देता है या समाप्त कर देता है, किसी माह के किसी भाग के लिये वेतन तथा भत्ते का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा तब तक कि उसे प्रबंध संचालक द्वारा ऐसी सूचना से छूट न दे दी गयी हो.

(53) **सभी कर्मचारी श्रेणीबद्ध किये जायेंगे :** प्रत्येक कर्मचारी, जिसे उसकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के बाद स्थाई पद होने पर नियमित कर दिया गया हो, अनुसूची में विनिर्दिष्ट श्रेणी में से कोई एक पद धारण करेगा जो उसकी मूल श्रेणी मानी जायेगी तथा :–

(क) निलम्बनाधीन, या

(ख) अवकाश या प्रतिनियुक्ति, या

(ग) कोई अस्थायी पद धारण करने या अन्य श्रेणी में स्थानापन्न कार्य समाप्त होने की स्थिति में उसी श्रेणी में वापस होगा.

(54) **स्थानांतरण पर कर्मचारी :** जहां कोई कर्मचारी एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित कर दिया जाये तो वह पुराने पद का अपना प्रभार सौंपने की तारीख तथा नए पद का प्रभार ग्रहण करने की तारीख के बीच की किसी अंतरावधि के दौरान पुराने या नए पद के वेतन और भत्तें, जो भी कम हो, आहरित करेगा.

(55) **भत्तों की स्वीकार्यता :** भत्तों का भुगतान, जहां तक वे स्वीकार्य हों, केवल उन्हीं कर्मचारियों को किया जाएगा, जो उस समय शर्तों को पूरा करते हों.

(56) **व्यक्तिगत वेतन :** परिवार नियोजन आपरेशन के लिए व्यक्तिगत वेतन प्रबंध संचालक द्वारा राज्य शासन के नियमों के अनुसार ही मंजूर किया जा सकेगा.

सामान्य सेवा नियम तथा शर्ते

(57) **अवकाश :** निगम के कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश सहित अन्य अवकाश राज्य शासन के नियमों के अनुसार दी जाएगी.

(58) **अर्जित अवकाश का समर्पण तथा नगदीकरण :** निगम का कर्मचारी राज्य शासन के नियमों तथा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अर्जित अवकाश का समर्पण तथा उनका नगदीकरण करवा सकेगा.

(59) **उपादान एवं कर्मचारी भविष्य निधि :** उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधान अनुसार एवं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अनुसार होगा.

(60) **समूह बीमा योजना :** भारतीय जीवन बीमा निगम के समूह बीमा योजना के अंतर्गत नियम के सभी कर्मचारी आते हैं. यह लाभ निगम के कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को शासन द्वारा निर्धारित सीमा तक लाभ प्राप्त होगा.

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में यह राशि उनके पैतृक विभाग में वेतन से कटवाए जा रहे कटौत्रे के अनुसार राज्य शासन के नियमों के अनुकूल होगी.

(61) **परिवीक्षा :** सेवा में सीधी भर्ती से भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

(62) **नियमितीकरण :** परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात परिवीक्षाधीन कर्मचारी को निगम की सेवा में नियमित किया जाएगा.

(63) **दैनिक/तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण :** दैनिक/तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों का नियमितिकरण शासन के नियमानुसार संचालक मंडल के अनुमोदन के उपरांत प्रबंध संचालक द्वारा किया जाएगा.

(64) **निर्वचन :** यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो, उसे संचालक मंडल को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा.

(65) **शिथिलीकरण :** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्य शासन/बोर्ड/निगम की किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से जो उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है. परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों से उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

(66) **निरसन तथा व्यावृत्ति :** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

इन नियमों के कोई भी प्रावधान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार उपबन्ध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगे.

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निगम का स्वीकृत सेट–अप ''सेवा एवं भर्ती नियम 2017'' का भाग समझा जायेगा। सेवा एवं भर्ती नियम 2017 में जिन नियमों का उल्लेख नहीं हैं उनके संबंध में शासन के नियम लागू होंगे. किसी भी विवाद की स्थिति में शासन का निर्णय सर्वोपरि एवं यथावत लागू/मान्य किया जावेगा.

आर. के. टण्डन,
अपर सचिव.

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरशन लिमिटेड

अनुसूची – 1

सं. क्रं.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4	5
	प्रधान कार्यालय ड्रग डिवीजन			
1	महाप्रबंधक (तकनीकी)	1	'अ' वर्ग	15600-39100 + GP 7600
2	उप प्रबंधक (ख़रीद और ऑपरेशनल दवा)	1	'ब' वर्ग	15600-39100 + GP 6600
3	उप प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रक)	1	'ब' वर्ग	15600-39100 + GP 6600
4	उप प्रबंधक (गुणवत्ता आश्वासन)	1	'ब' वर्ग	15600-39100 + GP 6600
5	स्टोर और पूर्ति अधिकारी	2	'स' वर्ग	9300 -34800 + GP 4600
6	निविदा और खरीद अधिकारी	5	'स' वर्ग	9300 -34800 + GP 4600
7	गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी	4	'स' वर्ग	9300 -34800 + GP 4600
8	कार्यालय सहायक	1	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 1900
9	डाटा एंट्री आपरेटर	8	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 2400
	गोदाम ड्रग डिवीजन			
10	सहायक प्रबंधक (ड्रग स्टोर)	16	'स' वर्ग	9300 -34800 + GP 4600
11	स्टोर अधिकारी	16	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 2800
12	डाटा एंट्री आपरेटर	16	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 2400
	प्रधान कार्यालय उपकरण डिवीजन			
13	महाप्रबंधक (उपकरण)	1	'अ' वर्ग	15600-39100 + GP 7600
14	उप प्रबंधक (खरीद और ऑपरेशनल उपकरण)	1	'ब' वर्ग	15600-39100 + GP 6600
15	बायोमेडिकल इंजीनियर	3	'ब' वर्ग	15600-39100 + GP 6600
16	निविदा और खरीद अधिकारी	2	'स' वर्ग	9300 -34800 + GP 4600

17	डाटा एंट्री आपरेटर	3	'स' वर्ग	5200 -20200 + GP 2400
		प्रधान कार्यालय निर्माण		
18	अधीक्षण अभियंता	1	'अ' वर्ग	15600-39100 + GP 7600
19	सहायक अभियंता	2	'ब' वर्ग	15600-39100 + GP 5400
20	उप अभियंता	2	'स' वर्ग	9300 -34800 + GP 4200
21	निविदा और खरीद अधिकारी	1	'स' वर्ग	9300 -34800 + GP 4600
22	ड्राफ्ट मैन	1	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 2800
23	डाटा एंट्री आपरेटर	3	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 2400
24	कार्यालय सहायक	2	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 1900
		डिवीजन कार्यालय निर्माण		
25	कार्यपालन अभियंता	5	'ब' वर्ग	15600-39100 + GP 6600
26	सहायक अभियंता	9	'ब' वर्ग	15600-39100 + GP 5400
27	उप अभियंता	44	'स' वर्ग	9300 -34800 + GP 4200
28	डाटा एंट्री आपरेटर	5	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 2400
29	कार्यालय सहायक	5	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 1900
		प्रधान कार्यालय वित्त		
30	महाप्रबंधक (वित्त)	1	'अ' वर्ग	15600-39100 + GP 7600
31	उप प्रबंधक (वित्त)	1	'ब' वर्ग	15600-39100 + GP 6600
32	उप प्रबंधक (लेखा)	1	'ब' वर्ग	15600-39100 + GP 6600
33	सहायक लेखा अधिकारी	6	'स' वर्ग	9300 -34800 + GP 4600
34	सहायक लेखा परीक्षा सह लेखा अधिकारी	1	'स' वर्ग	9300 -34800 + GP 4600
35	लेखा सहायक	5	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 2800
36	डाटा एंट्री आपरेटर	1	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 2400
37	कार्यालय सहायक	1	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 1900

प्रधान कार्यालय स्थापना और आईटी				
38	महाप्रबंधक (प्रशासन)	1	'अ' वर्ग	15600-39100 + GP 7600
39	उप प्रबंधक (प्रशासन एवं मानव संसाधन)	1	'ब' वर्ग	15600-39100 + GP 6600
40	सिस्टम प्रबंधक	1	'ब' वर्ग	15600-39100 + GP 6600
41	प्रबंधक (प्रशासनिक)	1	'स' वर्ग	9300 -34800 + GP 4600
42	मानव संसाधन अधिकारी	1	'स' वर्ग	9300 -34800 + GP 4600
43	सहायक सिस्टम मेनेजर	3	'स' वर्ग	9300 -34800 + GP 4600
44	व्यवस्थापक अनुभाग अधिकारी	1	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 2800
45	मानव संसाधन अनुभाग अधिकारी	1	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 2800
46	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लिए स्टेनो	1	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 2800
47	डाटा एंट्री आपरेटर	1	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 2400
48	कार्यालय सहायक	2	'द' वर्ग	5200 -20200 + GP 1900

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरशन लिमिटेड

अनुसूची – 2

क्रं.	संस्था का नाम	पद क्रं.	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
				चयन से सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण द्वारा
1	2	3	4	5	6	7
1	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कोर्पो. लिमि.	1	महाप्रबंधक (तकनीकी) - 01	-	पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		2	उप प्रबंधक (खरीद और ऑपरेशनल दवा) - 01	-	पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		3	उप प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रक) - 01	-	पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		4	उप प्रबंधक (गुणवत्ता आश्वासन) - 01	-	पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		5	स्टोर और पूर्ति अधिकारी - 02	100% सीधी भर्ती	-	-

		6	निविदा और खरीद अधिकारी - 08	100% सीधी भर्ती	-	-
		7	गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी - 04	2 पद सीधी भर्ती से (50%)	2 पद पदोन्नति से (50%)	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		8	सहायक प्रबंधक (ड्रग स्टोर) -16	8 पद सीधी भर्ती से	8 पद से पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		9	स्टोर अधिकारी - 16	8 पद सीधी भर्ती से	8 पद से पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		10	महाप्रबंधक (उपकरण) - 01	-	पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		11	उप प्रबंधक (खरीद और ऑपरेशनल उपकरण) - 01	-	पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		12	बायोमेडिकल इंजीनियर - 03	-	पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी

		13	अधीक्षण अभियंता - 01	-	पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		14	सहायक अभियंता -11	4 पद सीधी भर्ती से	7 पद पदोन्नति से	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		15	उप अभियंता -46	100% सीधी भर्ती	-	-
		16	ड्राफ्ट मैन - 01	100% सीधी भर्ती	-	-
		17	कार्यपालन अभियंता - 05	-	पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		18	महाप्रबंधक (वित्त) - 01	-	पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		19	उप प्रबंधक (वित्त) - 01	-	पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		20	उप प्रबंधक (लेखा) - 01	-	पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी

		21	सहायक लेखा अधिकारी - 06	4 पद सीधी भर्ती से	2 पद पदोन्नति से	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		22	सहायक लेखा परीक्षा सह लेखा अधिकारी - 01	100% सीधी भर्ती	-	-
		23	लेखा सहायक - 05	100% सीधी भर्ती	-	-
		24	महाप्रबंधक (प्रशासन) - 01	-	पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		25	उप प्रबंधक (प्रशासन एवं मानव संसाधन) - 01	-	पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		26	सिस्टम प्रबंधक - 01	-	पदोन्नति	आवश्यकता अनुरूप पदोन्नति से भरे जाने तक प्रतिनियुक्ति /संविदा से नियुक्ति की जा सकेगी
		27	प्रबंधक (प्रशासनिक) - 01	100% सीधी भर्ती	-	-
		28	मानव संसाधन अधिकारी – 01	100% सीधी भर्ती	-	-

		29	सहायक सिस्टम मेनेजर - 03	100% सीधी भर्ती	-	-
		30	व्यवस्थापक अनुभाग अधिकारी - 01	100% सीधी भर्ती	-	-
		31	मानव संसाधन अनुभाग अधिकारी - 01	100% सीधी भर्ती	-	-
		32	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लिए स्टेनो - -01	100% सीधी भर्ती	-	-
		33	डाटा एंट्री आपरेटर -37	100% सीधी भर्ती	-	-
		34	कार्यालय सहायक -11	100% सीधी भर्ती	-	-

छत्तीसगढ़ मेडिकल कार्पोरेशन लिमिटेड

अनुसूची – 3

क्रं	विभाग का नाम	पद क्र.	सेवा में सम्मिलित पद	न्यूनतम आयु सीमा (सीधी भर्ती हेतु)	अधिकतम आयु सीमा (सीधी भर्ती हेतु)	विहित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव	चयन समिति
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	उप प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रक)	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** बी. फार्मा. नियमित कोर्स न्यूनतम 60% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** दवा गुणवत्ता अथवा नियंत्रण प्रक्रिया अथवा दवा विश्लेषण अथवा क्रय का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा / बायो टेक कंपनी में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		2	स्टोर और पूर्ति अधिकारी	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** बी. फार्मा. नियमित कोर्स न्यूनतम 55% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** दवा खरीद अथवा दवा भंडारण अथवा लोजिस्टिक अथवा दवा सप्लाई चैन का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा / बायोटेक कंपनी में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
	सी.जी.एम.एस.सी. प्रधान कर्यालय ड्रग डिवीजन	3	निविदा और खरीद अधिकारी (ड्रग)	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** स्नातक, नियमित कोर्स न्यूनतम 55% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** क्रय अथवा वित का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा / बायोटेक कंपनी में 3 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		4	गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** बी. फार्मा. नियमित कोर्स न्यूनतम 55% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** दवा विश्लेषण अथवा दवा गुणवत्ता नियंत्रण का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा / बायो टेक कंपनी में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**

		5	सहायक प्रबंधक (ड्रग स्टोर)	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** बी. फार्मा. नियमित कोर्स न्यूनतम 55% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** दवा खरीद अथवा दवा भंडारण अथवा लोजिस्टिक अथवा दवा सप्लाई चैन का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा /बायोटेक कंपनी में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव अथवा **शैक्षणिक योग्यता :** डी फार्मा. नियमित कोर्स न्यूनतम 55% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** दवा भंडारण अथवा लोजिस्टिक अथवा दवा सप्लाई चैन का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा/बायोटेक कंपनी में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		6	स्टोर अधिकारी	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** बी. फार्मा. नियमित कोर्स न्यूनतम 50% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव:** निरंक अथवा **शैक्षणिक योग्यता :** डी फार्मा. नियमित कोर्स न्यूनतम 50% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** दवा भंडारण अथवा लोजिस्टिक अथवा दवा सप्लाई चैन का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा / बायोटेक कंपनी में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
	सी.जी.एम.एस.सी. प्रधान कर्यालय उपकरण डिवीजन	7	बायोमेडिकल इंजीनियर	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** बायो मेडिकल / बायो टेक्नोलॉजी में M.Sc. नियमित कोर्स अथवा बायो मेडिकल / बायो टेक्नोलॉजी / इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल /इंस्ट्रूमेंटेशन में बी.ई./ बी.टेक नियमित कोर्स, न्यूनतम 60% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** बायो मेडिकल उपकरणों के निर्माण अथवा डिजाईन अथवा रखरखाव का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा अस्पताल/ निजी कंपनी में न्यूनतम 4 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
	सी.जी.एम.एस.सी. प्रधान कर्यालय उपकरण डिवीजन	8	निविदा और खरीद अधिकारी (उपकरण)	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** स्नातक, नियमित कोर्स न्यूनतम 55% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** क्रय अथवा वित का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा / बायोटेक कंपनी में 3 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**

	सी.जी.एम.एस.सी. प्रधान कर्यालय निर्माण	9	सहायक अभियंता	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** सिविल में बी.ई./ बी.टेक नियमित कोर्स न्यूनतम 60% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** निर्माण कार्यों का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा सिविल कंपनी में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		10	उप अभियंता (सिविल/इलेक्ट्रिकल/ आर्किटेक्ट)	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** : सिविल / इलेक्ट्रिकल/ आर्किटेक्ट में डिप्लोमा, नियमित कोर्स न्यूनतम 55% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** निर्माण/ आर्किटेक्ट कार्यों का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा सिविल कंपनी में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		11	निविदा और खरीद अधिकारी (सिविल)	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** स्नातक, नियमित कोर्स न्यूनतम 55% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** क्रय अथवा वित्त का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा / बायोटेक कंपनी में 3 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		12	ड्राफ्ट मैन	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** सिविल ड्राफ्टमैनशिप में आई.टी.आई. न्यूनतम 50% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
	सी.जी.एम.एस.सी. डिवीजन कर्यालय निर्माण	13	कार्यपालन अभियंता	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** सिविल में बी.ई./ बी.टेक नियमित कोर्स न्यूनतम 60% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** निर्माण कार्यों का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम में न्यूनतम 4 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		14	सहायक अभियंता	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** सिविल में बी.ई./ बी.टेक नियमित कोर्स न्यूनतम 60% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** निर्माण कार्यों का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा सिविल कंपनी में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		15	उप अभियंता (सिविल/इलेक्ट्रिकल/ आर्किटेक्ट)	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** : सिविल / इलेक्ट्रिकल/ आर्किटेक्ट में डिप्लोमा, नियमित कोर्स न्यूनतम 55% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** निर्माण/ आर्किटेक्ट कार्यों का शासकीय संस्था अथवा	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**

						शासकीय उपक्रम अथवा सिविल कंपनी में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव	
	सी.जी.एम.एस.सी. प्रधान कर्यालय वित	16	उप प्रबंधक (वित्त)	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** वित में एम.बी.ए. नियमित कोर्स न्यूनतम 60% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** वित / कर निर्धारण प्रबंधन /लेखा परीक्षा का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा / बायोटेक कंपनी / राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		17	सहायक लेखा अधिकारी	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** बी. कॉम. नियमित कोर्स न्यूनतम 55% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** वित्त/ लेखा परीक्षा/ लेखा का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा कंपनी में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		18	सहायक लेखा परीक्षा सह लेखा अधिकारी	18	35	**शैक्षणिक योग्यता : CA INTER/ ICWA INTER** तथा बी. कॉम. नियमित कोर्स न्यूनतम 55% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** वित्त/ लेखा परीक्षा/ लेखा का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा CA/ICWAI संस्था में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		19	निविदा और खरीद अधिकारी (वित्त)	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** स्नातक, नियमित कोर्स न्यूनतम 55% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** क्रय अथवा वित का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा / बायोटेक कंपनी में 3 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
	सी.जी.एम.एस.सी. प्रधान कर्यालय वित	20	लेखा सहायक	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** बी. कॉम. नियमित कोर्स न्यूनतम 50% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ एवं MS Office के साथ हिंदी टाइपिंग का ज्ञान आवश्यक |	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
	सी.जी.एम.एस.सी. प्रधान कर्यालय स्थापना और आईटी	21	उप प्रबंधक (प्रशासन एवं मानव संसाधन)	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :**मानव संसाधन में एम.बी.ए. नियमित कोर्स न्यूनतम 60% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** प्रशासन अथवा मानव संसाधन का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा / बायोटेक कंपनी में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**

	सी.जी.एम.एस.सी. प्रधान कार्यालय स्थापना और आईटी	22	सिस्टम प्रबंधक	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** एम.सी.ए. नियमित कोर्स अथवा कंप्यूटर साइंस / आई. टी. में बी.ई./ बी.टेक. न्यूनतम 60% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** डाट नेट अथवा SQL प्लेटफार्म पर वेब आधारित एप्लीकेशन निर्माण का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा / बायोटेक/ आई. टी./ सॉफ्टवेयर कंपनी में न्यूनतम 4 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		23	प्रबंधक (प्रशासनिक)	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** मानव संसाधन में एम.बी.ए. नियमित कोर्स न्यूनतम 55% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		24	मानव संसाधन अधिकारी	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** मानव संसाधन में एम.बी.ए. नियमित कोर्स न्यूनतम 55% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		25	सहायक सिस्टम मेनेजर	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** एम.सी.ए. नियमित कोर्स अथवा कंप्यूटर साइंस / आई. टी. में बी.ई./बी.टेक. नियमित कोर्स, न्यूनतम 55% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** डाट नेट अथवा SQL प्लेटफार्म पर वेब आधारित एप्लीकेशन निर्माण का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा / बायोटेक/आई. टी./ सॉफ्टवेयर कंपनी में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		26	व्यवस्थापक अनुभाग अधिकारी	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** स्नातक, नियमित कोर्स न्यूनतम 50% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** प्रशासन संबधी कार्यों का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा / बायोटेक कंपनी में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		27	मानव संसाधन अनुभाग अधिकारी	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** स्नातक, नियमित कोर्स न्यूनतम 50% अंक अथवा संमकक्ष श्रेणी के साथ **अनुभव :** मानव संसाधन संबधी कार्यों का शासकीय संस्था अथवा शासकीय उपक्रम अथवा फार्मा / बायोटेक कंपनी में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**

		28	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लिए स्टेनो	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** १२ वीं पास तथा स्टेनो परीक्षा (हिन्दी) उत्तीर्ण (स्पीड की जॉच हेतु पृथक से कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी)	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		29	डाटा एंट्री आपरेटर	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** १२ वीं पास, न्यूनतम 50% अंक अथवा समकक्ष श्रेणी के साथ तथा डाटा एंट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ 8000 key Depression प्रति घंटा की टाइपिंग गति (टायपिंग स्पीड की जॉच हेतु पृथक से कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी)	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**
		30	कार्यालय सहायक	18	35	**शैक्षणिक योग्यता :** १२ वीं पास, न्यूनतम 50% अंक अथवा समकक्ष श्रेणी के साथ तथा डाटा एंट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ 5000 key Depression प्रति घंटा की टाइपिंग गति (टायपिंग स्पीड की जॉच हेतु पृथक से कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी)	**नियम 2(12) के अनुसार गठित समिति**

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अनुसूची – 4

क्रं.	संस्था का नाम	पद क्रमांक	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पात्रता की कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	उप प्रबंधक (खरीद और ऑपरेशनल दवा), उप प्रबंधक (गुणवता नियंत्रक), उप प्रबंधक (गुणवता आश्वासन)	5 वर्ष	महाप्रबंधक (तकनीकी)	नियम 2 (13) के अनुसार गठित समिति	
		2	समस्त निविदा और खरीद अधिकारी, स्टोर और पूर्ति अधिकारी	5 वर्ष	उप प्रबंधक (खरीद और ऑपरेशनल दवा)	नियम 2 (13) के अनुसार गठित समिति	
		3	गुणवता नियंत्रक अधिकारी, सहायक प्रबंधक (ड्रग स्टोर)	5 वर्ष	उप प्रबंधक (गुणवता आश्वासन)	नियम 2 (13) के अनुसार गठित समिति	
		4	सहायक प्रबंधक (ड्रग स्टोर)	5 वर्ष	गुणवता नियंत्रक अधिकारी,	नियम 2 (13) के अनुसार गठित समिति	
		5	स्टोर अधिकारी	5 वर्ष	सहायक प्रबंधक (ड्रग स्टोर)	नियम 2 (13) के अनुसार गठित समिति	
		6	उप प्रबंधक (खरीद और ऑपरेशनल उपकरण), बायोमेडिकल इंजीनियर	5 वर्ष	महाप्रबंधक (उपकरण)	नियम 2 (13) के अनुसार गठित समिति	

		7	समस्त निविदा और खरीद अधिकारी	5 वर्ष	उप प्रबंधक (खरीद और ऑपरेशनल उपकरण)	नियम 2 (13) के अनुसार गठित समिति	
		8	कार्यपालन अभियंता	5 वर्ष	अधीक्षण अभियंता	नियम 2 (13) के अनुसार गठित समिति	
		9	सहायक अभियंता	5 वर्ष	कार्यपालन अभियंता	नियम 2 (13) के अनुसार गठित समिति	
		10	उप अभियंता	5 वर्ष	सहायक अभियंता	नियम 2 (13) के अनुसार गठित समिति	
		11	उप प्रबंधक (वित्त), उप प्रबंधक (लेखा)	5 वर्ष	महाप्रबंधक (वित्त)	नियम 2 (13) के अनुसार गठित समिति	
		12	सहायक लेखा अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षा सह लेखा अधिकारी	5 वर्ष	उप प्रबंधक (लेखा)	नियम 2 (13) के अनुसार गठित समिति	
		13	समस्त लेखा सहायक	5 वर्ष	सहायक लेखा अधिकारी	नियम 2 (13) के अनुसार गठित समिति	
		14	उप प्रबंधक (प्रशासन एवं मानव संसाधन)	5 वर्ष	महाप्रबंधक (प्रशासन)	नियम 2 (13) के अनुसार गठित समिति	